

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

Victoria Cross Vijeta, Gabar Singh Urja Bhawan,

Kanwali Road, Dehradun - 248001

Phone : 91-135-2762322

Fax : 91-135-2762322

**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०**

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह

ऊर्जा भवन, कौवली रोड,

देहरादून - 248001

दूरभाष: 91-135-2762322

फैक्स: 91&135&2762322

पत्रांक 60 /उपाकालि/अधि० अगि०, विद्युत परियोजना खंड (दे०)

दिनांक 01.11.2019

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि संवर्क्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- आई०पी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत ढकरानी से चकराता तक प्रस्तावित 33 के०वी० लाईन निर्माण हेतु विकासखण्ड चकराता में अपेक्षित 7.20 है० वन भूमि लीज पर लिये जाने के लिए वन विभाग को देय अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत करना है कि आई०पी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत ढकरानी से चकराता तक कुल 52 कि०मी० 33 के०वी० लाईन का निर्माण प्रस्तावित है। उपरोक्त लाईन के निर्माण में लगभग 18 कि०मी० लाईन वन क्षेत्र से होकर गुजरनी है जिसके लिए वन विभाग की अनुमति हेतु प्रस्ताव सं० FP/UK/Trans/36388/2018 तैयार कर वन विभाग को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं०- 8बी/यू०सी०पी०/04/46/2019/एफ०सी०/876 दिनांक 24.07.2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- 461/1201 दिनांक 01.08.2019 के माध्यम से विद्युत लाइन के निर्माण हेतु प्रत्यावेदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नानुसार था:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/ लम्बाई	छर (रु० में)	देय धनराशि (रु० में)
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय	14.40 है०	3,06,531.00	44,14,046.00
2	एन०पी०वी०	7.20 है०	6,57,000.00	47,30,400.00
कुल योग				91,44,446.00

इसके उपरान्त उक्त धनराशि को ऑनलाईन चालान जनरेंट कर आपके विभाग में जमा कर दिया गया था (प्रतिलिपि संलग्न)। परन्तु त्रुटिवश सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या 05 मोटर मार्ग की स्वीकृति की शर्त लिखी उल्लेखित है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने अपने शुद्धि पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/04/46/2019/एफ०सी०/1682 दिनांक 23.10.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से मोटर मार्ग की स्वीकृति की शर्त के स्थान पर प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन से सम्बन्धित शर्त को उल्लेखित किया है, जोकि निम्नवत है:-

“प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के नीचे, RoW के अंदर जहाँ-जहाँ संभव हो, बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवम् 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी”।

क्रमशः ...2....

(2)

उपरोक्त शर्त के क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- 1478/12.1 दिनांक 23.10.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विद्युत लाइन के निर्माण हेतु प्रत्यावेदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि के अतिरिक्त देय धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल है०	दर (रु० में)	देय धनराशि (रु० में)
1	बौनी प्रजाति के वृक्षरोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय	7.20	3,06,531	22,07,023.00

अतः उक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि उक्त धनराशि को विद्युत विभाग द्वारा जमा करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।


(शिशिर श्रीवास्तव)
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत परियोजना खण्ड
देहरादून

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE
(NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./04/46/2019/एफ.सी./1682

दिनांक: 23.10.2019

शुद्धि पत्र

क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र 8बी/यू.सी.पी./04/46/2019/एफ.सी./876 दिनांक 24.07.2019 द्वारा जनपद - देहरादून के अंतर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के०वी० विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पारेषण लाईन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। पत्र में त्रुटिवश मोटर मार्ग की स्वीकृति की शर्त लिखी गयी है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या 05 के स्थान पर निम्न शर्त को तद्दिनांक से पढ़ा जाए:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के नीचे, RoW के अंदर जहाँ-जहाँ संभव हो, बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवम् 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

शेष सभी शर्तें सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र दिनांक 24.07.2019 के अनुसार यथावत् रहेगी।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-1478 / 12-1

दिनांक, चकराता 27- अक्टूबर 2019

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
(आर०ए०पी०डी०आर०पी० भाग-बी० / आई०पी०डी०एस०),
विद्युत परियोजना खण्ड, उ०पा०का०लि०, देहरादून

विषय:- जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकारानी से तक) 33 के०वी० लाईन के पारेषण हेतु 7.20 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु पारेषण लाईन निर्माण हेतु उ०पा०का०लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बंध में।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी०/04/046/2019/एफ०सी०/1682 दि० 23.10.2019

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी०/04/046/2019/एफ०सी०/876 दि० 24.07.2019 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में विषयांकित विद्युत लाईन के निर्माण हेतु प्रत्यावेदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	बौनी प्रजाति के वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय।	7.20 है०	3,06,531/-	22,07,023.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेंट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं०-5 में संशोधन आदेश के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-1478 / 12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

Scanned with CamScanner